

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2015 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 07 मार्च, 2019

आदेश


विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/राजस्व/2018 दिनांक: 05 मार्च, 2019 द्वारा जारी राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों में क्रम संख्या 45 एवं 53 पर अंकित क्रमशः श्रीमती अनुपमा शर्मा तथा श्री प्रदीप माथुर का स्थानान्तरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एज्जाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. संबंधित अधिकारी।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव